कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 2291 /15–1, दिनांक, झांसी, फरवरी, 7 2022

सेवा में,

श्री रण विजय सिंह,
अधिशाषी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, झांसी।

विषय :– जनपद झांसी में राज्य पेय जल व स्वच्छता मिशन द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाईन बिछाने हेतु गुलारा तिलेथा बचावली व बुड़पुरा ग्राम समूह पेय जल योजना जिला झांसी, उ0प्र0 में प्रभावित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति।

संदर्भ :– प्रस्ताव संख्या–FP/UP/WATAR/150514/2021 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–2164/15–1, दिनांक 24.01.2022 व आपका कार्यालय पत्रांक व दिनांक शून्य (साधारण पत्र)।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव की पांच प्रतियां इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्न कमियां पाई गयी है :–

1. आप द्वारा उक्त प्रस्ताव संख्या FP/UP/WATAR/150514/2021 में इस कार्यालय द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण किया गया था, जिसमें नो बिन्दुओं पर कमियां पाई गयी थी, जिसमें प्रसताव की कमियों के आधार पर चारो स्थल गुलारा, तिलैथा, बचावली व बुढ़पुरा से सम्बन्धित बिन्दुवार संयुक्त जांच आख्या 05 प्रतियों में अलग–अलग स्थलों की मांग की गयी थी, परन्तु आप द्वारा उक्त कमियों में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसमें आप के उत्तर का पत्र संलग्न है, अवलोकन करने का कष्ट करें।
2. आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि में आरक्षित 0.326555 एवं संरक्षित वन भूमि 6.200096 हे0 कुल 6.526651 हे0 जो चारों स्थलों की संयुक्त रिपोर्ट में दर्शाना है कि किस स्थल कितनी भूमि प्रभावित हो रही है। आरक्षित संरक्षित विवरण स्पष्ट करते हुये बिन्दु 09 में मांगी गई थी, परन्तु आप द्वारा उत्तर में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे उक्त प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही बिना अभिलेखों के आप की ओर से बाधित है।
3. बिन्दु संख्या–2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के आधार पर आपने कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे प्रस्ताव में बिना पी0डब्ल्यू0डी0 की एन0ओ0सी0 व जिलाधिकारी, झांसी द्वारा निर्धारित आरक्षित संरक्षित क्षेत्रों के सर्किल रेट व वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये है।

अतः आप इस कार्यालय के पत्र संख्या–2164/15–1, दिनांक 24.01.2022 के आधार पर आप बिन्दुवार चाहे गये अभिलेखों को प्रस्तुत करने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

नोट–कृपया आप अपने कार्यालय द्वारा पत्राचार करने का कष्ट करें, बिना कार्यालय का पत्र शून्यतः की स्थिति में है।

<u>संलग्नक–आपका संदर्मित पत्र।</u>

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

Letter_Van._Sandeep Jha

Scanned with CamScanner